



तारीख हुक्म	१००६/३१७१. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तालिका अहकाम हुक्म व में
१७/१/१५	<p style="text-align: center;">आर. डी. मीणा, सदस्य</p> <p>श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी, सदस्य पत्रावली पैरा ६६) वकील अपीलान्त व स्वयं अपीलान्त को बार-बार रोक-रुक कर आवाज लगाई गई। बावजूद सूचना कोर्ट उपरिष्ठात नहीं है। अतः वकील अपीलान्त व स्वयं अपीलान्त के उपरिष्ठात नहीं होने के कारण पत्रावली आदेश हाजरी व मस्य में रकी में खासत की जाती है। पत्रावली जैसलधामर होकर वाड कारकीरी इतिवत् इतर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="351 1120 638 1344"> <p style="text-align: center;">  सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर </p> </div> <div data-bbox="877 1097 1308 1276"> <p style="text-align: center;">  सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर </p> </div> </div>	